रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2015/चैत्र 6, 1937
No. 643] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2015 /CHAITRA 6, 1937

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2015

का.आ. 864(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाता है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् लोक प्रयोजन के लिये, वह भूमि जिसका सक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के **फिरोजाबाद** जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिये अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने में अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अन्दर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् **सक्षम प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद,** उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा जॉच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुनज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में जिला फिरोजाबाद में अर्थात् विशेष रेलवे परियोजना, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि की संरचना सहित या उसके रहित सक्षिप्त विवरण

जिले का नाम – फिरोजाबाद

क्र0 सं0	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शिकोहाबाद	(1) कौरारी	114	0.0120
			115	0.0610
			116	0.0572
			117	0.0260
			126	0.0312
			137	0.0900
			154	0.0580
			157	0.0780
		(2) मई गदोखर	132	0.0384
			150	0.0060
		(3) लहटई	239	0.0940
		(4) बाछेमई	287	0.0730
			288	0.1540
			488	0.2280
		(5) उजरई	310	0.0170
			311	0.3162
			368	0.0145
		(6) तिलियानी	206	0.0240
			208	0.1450
			209	0.0132
			212	0.0470
			240	0.0420
		(7) भाडरी	280	0.0360
			284	0.4150
			289	0.0400
			290	0.0560
			526	0.0850
			529	0.1872
			540	0.1480
		(8) औरंगाबाद	128	0.1000
			130	0.0200
			175	0.0600
		(9) छीछामई	140	0.0200
			163	0.0306
			175	0.0625
			176	0.0360
			178	0.0025
			179	0.1906
			181	0.0550
			182	0.1280
			185	0.0360
			186	0.0350

			297	0.1500
			299	0.0160
		(10) आरोंज	584	0.0560
			598	0.1345
			599	0.0120
			628	0.0280
			608	0.1736
		(11) रामनगर राजपुर बलाई	22	0.1584
		(12) किरथरा मोहम्मदपुर	116	0.1296
			117	0.0050
			118	0.0160
			121	0.0480
			127	0.0182
			151	0.0020
			152	0.1512
			153	0.0020
		(13) जिजौली	118	0.1020
			134	0.2185
2	फिरोजाबाद	(1) खेमकरनपुर	76	0.0140
3	टूण्डला	(1) लतीफपुर	12	0.0700
			16	0.1080
			18	0.4240
			27	0.1240
			61	0.0470
			67	0.2124
			72	0.0865
			76	0.0054
		(2) नगला बलिया	42	0.2360

[फा. सं. 2013/एलएमएल/12/7/ईस्टन कॉरीडोर/604]

अचल जैन, कार्याकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं–1)

MINISTRY OF RAILWAY

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2015

S.O.864(E). – In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule annexed hereto, is required for Special Railways Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the **District Firozabad** the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the state of publication of this notification in the Official Gazette, object to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Nagar Magistrate Ferozabad,** Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railways Project, namely, Eastern Dedicted Freight Corridor in the District Ferozabad and State of Uttar Pradesh.

Name of the District- Ferozabad.

Serial Number	**Name of Tehsil**	**Name of Village**	**Gata Number**	**Area in Hect.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	Shikohabad	(1) Kaurari	114	0.0120
			115	0.0610
			116	0.0572
			117	0.0260
			126	0.0312
			137	0.0900
			154	0.0580
			157	0.0780
		(2) Mai Gadokhar	132	0.0384
			150	0.0060
		(3) Lahtai	239	0.0940
		(4) Vachmai	287	0.0730
			288	0.1540
			488	0.2280
		(5) Ujrai	310	0.0170
			311	0.3162
			368	0.0145
		(6) Tilyani	206	0.0240
			208	0.1450
			209	0.0132
			212	0.0470
			240	0.0420
		(7) Bhandari	280	0.0360
			284	0.4150
			289	0.0400
			290	0.0560
			526	0.0850
			529	0.1872
			540	0.1480
		(8) Aorangabad	128	0.1000
			130	0.0200
			175	0.0600
		(9) Chichamai	140	0.0200
			163	0.0306
			175	0.0625
			176	0.0360
			178	0.0025
			179	0.1906
			181	0.0550
			182	0.1280
			185	0.0360
			186	0.0350
			297	0.1500
			299	0.0160

		(10) Aronj	584	0.0560
			598	0.1345
			599	0.0120
			628	0.0280
			608	0.1736
		(11) Ram Nagar Rajpur Valai	22	0.1584
		(12) Kirthara Momadpur	116	0.1296
			117	0.0050
			118	0.0160
			121	0.0480
			127	0.0182
			151	0.0020
			152	0.1512
			153	0.0020
		(13) Jijoli	118	0.1020
			134	0.2185
2	Firozabad	(1) Khem Karanpur	76	0.0140
3	Tundla	(1) Latifpur	12	0.0700
			16	0.1080
			18	0.4240
			27	0.1240
			61	0.0470
			67	0.2124
			72	0.0865
			76	0.0054
		(2) Nagal Baliya	42	0.2360

[F. No. 2013/LML/12/7/Eastern Corridor/604]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities-I)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.